

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Hisar Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0032

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

21/08/2025 19:19 hrs

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम)                     | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1               | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 7                   |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Tuesday

Date from (दिनांक से):

12/08/2025

Date To (दिनांक तक):

12/08/2025

Time Period (समय अवधि): Pahar

1

Time From (समय से): 00:00

hrs

Time To (समय तक):

00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 21/08/2025

Time (समय): 19:05 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 030

Date and Time (दिनांक और समय): 21/08/2025 19:05 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 75 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): PS CITY BHIWANI,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): INSP NARENDER SINGH 459 H

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1975

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

| S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|
|------------------|--------------------------------|--------------------------|

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address  
(पता):

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता)                                                                    |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | Present Address              | SV ACB UNIT BHIWANI, ACB, Hisar, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA |
| 2               | Permanent Address            | SV ACB UNIT BHIWANI, ACB, Hisar, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA |

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9306309735

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम)         | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address(वर्तमान पता)                              |
|------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                | HC ASHOK KUMAR     |               |                                    | 1. PS CITY BHIWANI, BHIWANI CITY, BHIWANI, HARYANA, INDIA |
| 2                | HGH RAVINDER KUMAR |               |                                    | 1. PS CITY BHIWANI, BHIWANI CITY, BHIWANI, HARYANA, INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S. No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                  |                                     |                                    |                     |                                 |

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

| S. No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.) |
|------------------|--------------------------------|
|------------------|--------------------------------|

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,  
प्रबन्धक अफसर थाना  
राज्य सतर्कता एवम् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह)  
हिसार मंडल हिसार ।

श्रीमान् जी,

1. शिकायत क्रमांक 2944/ comp/161/DACB/HSR/2025 दिनांक 05.06.2025 विरुद्ध SHO थाना शहर भिवानी व MHC अशोक कुमार (मुंशी) थाना शहर भिवानी विक्षेपण हेतु मुझे प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता शिवकुमार पुत्र रतिराम वासी सांगा तहसील व जिला भिवानी ने आरोप लगाया था कि “प्रबन्धक अफसर थाना शहर भिवानी ने शिकयतकर्ता के छोटे भाई मन्जीत कुमार को दिनांक 21.05.2025 को साहिल आत्महत्या केस मुकदमा न. 297 दिनांक 03.07.2024 थाना शहर भिवानी में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय प्रबन्धक अफसर थाना शहर भिवानी ने शिकयतकर्ता से 50,000/- रुपये लेने बारे दबाव बनाया तथा कहा कि यदि 50,000/- रुपये नहीं दिये तो तेरे भाई का सात दिन का रिमांड होगा। दिनांक 21.05.2025 को प्रबन्धक अफसर थाना शहर भिवानी ने शिकयतकर्ता को 50,000/- रुपये बाथरूम में रखने के लिये बोला इतने पैसे लेकर भी वो नहीं माने और शिकयतकर्ता पर और पैसे के लिये दबाव बनाया। दिनांक 22.05.2025 को शिकयतकर्ता के भाई मन्जीत कुमार को अदालत में पेश करने के बाद जेल ले जा रहे थे तो प्रबन्धक अफसर थाना शहर भिवानी ने शिकयतकर्ता से थाना में मिलने के लिये कहा तथा वहां पर मोहररर थाना अशोक कुमार से मिलने के लिये बोला उन्होंने शिकयतकर्ता से फिर पैसे मांगे और कहा कि पैसे दोगे तो हम चालान जल्दी पेश कर देंगे नहीं तो 4/5 महीने तक चालान पेश नहीं करेंगे और मन्जीत को जमानत नहीं मिलेगी शिकयतकर्ता डर की वजह से 50,000/- रुपये ब्याज पर उठाकर SHO थाना शहर भिवानी व MHC अशोक कुमार थाना शहर भिवानी को दबाव बनाने के कारण दे चुका है। MHC अशोक कुमार जेल भिवानी में जाकर भी शिकयतकर्ता के भाई मन्जीत को डराता धमकाता रहा कि अपने भाई को पैसे के लिये बोल दो नहीं तो SHO साहब चालान पेश नहीं करेंगे।
2. शिकयतकर्ता द्वारा अपनी उक्त शिकायत के साथ इस रिश्त प्रकरण के सम्बन्ध में उसकी प्र0सि0 अशोक कुमार मोहररर थाना शहर भिवानी व रविन्द्र कुमार होमगार्ड के साथ हुई बातचीत की रिकार्डिंग जो कि एक रिकार्डिंग डिवाइस में ही सेव थी लगाई हुई थी। उपरोक्त शिकायत में लगाये गये आरोपो की विशलेषण रिपोर्ट मन निरीक्षक द्वारा तैयार की गई। तस्दीक के दौरान शिकयतकर्ता शिवकुमार का कथन अंकित किया गया व उसके द्वारा शिकयतकर्ता के साथ संलग्न किये गये डिवाइस में सेव आडियो रिकार्डिंग की ट्रान्स्क्रिप्शन तैयार करवाई गई। शिकयतकर्ता की विषय वस्तु व आडियो रिकार्डिंग के विशलेषण से पाया गया कि मुकदमा न. 297 दिनांक 03.07.2024 धारा 108/3(5) भा.न.स. थाना शहर भिवानी का अनुसंधान निरीक्षक सत्यनारायण प्रबन्धक अफसर थाना शहर भिवानी द्वारा किया जा रहा है। इस अभियोग में शिकयतकर्ता के भाई मन्जीत को दिनांक 21.05.2025 को गिरफ्तार किया जाना पाया गया। शिकयतकर्ता द्वारा पेश की गई आडियो रिकार्डिंग की ट्रान्स्क्रिप्शन से प्रधान सिपाही अशोक कुमार मोहररर थाना शहर भिवानी व रविन्द्र कुमार होमगार्ड थाना शहर भिवानी द्वारा शिकयतकर्ता शिवकुमार से कभी 25,000/- कभी 20,000/- रुपये रिश्त की मांग किये जाने की पुष्टि होनी पाई गई।
3. रिकार्डिंग में उक्त दोनों बातों को घुमा फिराकर शिकयतकर्ता शिवकुमार को रिश्त देने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त मुकदमा में अन्य आरोपी प्रदीप कुमार को भी दिनांक 21.03.2025 को गिरफ्तार किया जाना पाया गया जो प्रदीप के भाई सुनिल कुमार पुत्र ईश्वर सिंह वासी कुम्भा जिला हिसार ने भी उसके भाई प्रदीप की गिरफ्तारी के समय उससे प्रधान सिपाही अशोक कुमार मोहररर थाना शहर भिवानी द्वारा 40,000/- रुपये की रिश्त लेने की पुष्टि की है। आडियो रिकार्डिंग में शिकयतकर्ता से प्रबन्धक थाना शहर भिवानी द्वारा किसी तरह की कोई रिश्त की डिमांड सामने नहीं आई। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रधान सिपाही अशोक कुमार मोहररर थाना शहर भिवानी व रविन्द्र कुमार होमगार्ड थाना शहर भिवानी के खिलाफ धारा 7 PC ACT 1988 के तहत अभियोग अंकित करने की सिफारिश सहित रिपोर्ट मुख्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्र0 नि0 ब्यूरो हरियाणा पंचकुला भेजी गई थी जिस पर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के आदेश क्रमांक 15586/शिकायत/388/हिसार/2025 दिनांक 07.08.2025 अनुसार उक्त दोनों आरोपियान के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 के तहत अभियोग अंकित करने बारे अनुमोदन हो चुका है। अतः तहरीर हजा बमय मूल पत्र क्रमांक 15586/शिकायत/388/हिसार/2025 दिनांक 07.08.2025 मय संलग्न दस्तावेज मय रिकार्डिंग डिवाइस संलग्न करके बराये दर्ज करने अभियोग बदस्त महिला सिपाही ज्योति 1066/जौद भेजी जा रही है। बाद दर्ज करने अभियोग, अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट साहब व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सम्बन्धित अफसरान वाला को नियमानुसार भिजवाई जाए।

अजः SV ACB (H) युनिट भिवानी।  
Sd/-Narender

निरीक्षक नरेन्द्र सिंह न0 459/H

राज्य सतर्कता एवम् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह0)

उपकेन्द्र भिवानी। दिनांक 21.08.2025

Time 4.15 PM

अज थाना- हस्ब आमद तहरीर पर मु.न. 32 दिनांक 21.08.2025 जेर धारा 7 पी0सी0एक्ट PS SV ACB Hisar दर्ज रजि. किया जाकर प्र.सु.रि. मय असल तहरीर मय रिकार्ड आगामी तफ्तीश हेतु महिला सिपाही ज्योति 1066/जौद के हाथ निज्द निरीक्षक गुरमीत सिंह 197/H के भेजी जा रही है। प्र.सु.रि. की स्पेशल प्रतियां तैयार करके बजरियां EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब भिवानी व पुलिस अधीक्षक भिवानी की सेवा में भेजी जा रही हैं।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**  
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): I (Inspector)  
GURMEET  
No. (सं.): 197H to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)  
or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):  
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.  
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): SATYAPAL

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 303SPT

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

